Regarding Baksoti Barrage Scheme on river Sakri

श्री विवेक ठाकुर **(**नवादा**) :** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय जलशक्ति मंत्री जी का ध्यान बिहार राज्य के बकसौती बैराज परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो नवादा, शेखपुरा, जमुई और नालंदा, चार जिलों के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है । यह परियोजना सकरी नाटा नदी लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, जो दक्षिण बिहार हरोहर बेसिन का हिस्सा है । इसके अतिरिक्त नवादा के कौआकोल ब्लॉक में भी नाटा गदी के ऊपरी धारा पर एक और बैराज का प्रस्ताव है ।

महोदय, नवादा और शेखपुरा दोनों आकांक्षी जिले हैं । मैं यहां का प्रतिनिधित्व इस सदन में करता हूं । इन दोनों जिलों की स्थिति सिंचाई और पेयजल के मामले में अति गंभीर है । कई स्थानों पर तो 350-400 फीट पर जाकर पानी मिलता है । यह परियोजना पुनर्निर्मित अपर सकरी जलाशय परियोजना का हिस्सा है जिसे वर्ष 1974-75 में प्रारंभिक रूप से परिकल्पित किया गया था । एक पूर्व प्रस्ताव में गिरिडीह जिले के जोरीसिरीग गांव के पास सकरी नदी पर लगभग 232 मीटर लंबा बांध बनाने का प्रस्ताव था, जो सकरी और नाटा नदी के संगम पर था । राज्य के विभाजन के बाद झारखंड सरकार ने इस परियोजना का अनुसरण नहीं किया और राज्य की सीमा के भीतर स्थित क्षेत्रों के डूबने के कारण इसे अनुमति नहीं दी । सतही और भूजल संसाधनों के संयुक्त उपयोग की तकनीकी व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य सरकार ने बकसौती बैराज के निर्माण के नए प्रस्ताव का समर्थन किया है ।

महोदय, 28 अगस्त 2016 को झारखंड और बिहार के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित एक संयुक्त बैठक में, झारखंड राज्य ने उल्लेख किया कि सकरी उप-बेसिन में झारखंड राज्य की कुल सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक जल आवश्यकता क्षेत्र में उपलब्ध कुल जल से अधिक है और झारखंड बिहार को बकसौती बैराज परियोजना के निर्माण के लिए एनओसी देने की स्थिति में नहीं है । यदि बकसौती बैराज परियोजना को मंजूरी दी जाती है तो भविष्य में जल की कमी की स्थिति में इसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।

महोदय, इसी क्रम में संयुक्त बैठक में सकरी उप-बेसिन में उपलब्ध सतही जल के उपयोग के लिए एक समझौता हुआ जिसमें सकरी नदी के कुल 159.20 मिलियन क्यूबिक मीटर और नाटा नदी के 16.59 मिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल और भूजल का उपयोग संयुक्त रूप से किया जाना तय हुआ । इस संयुक्त उपयोग की तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है जो अभी भी अधर में है ।

उपरोक्त निर्णय झारखंड द्वारा सिंचाई, घरेलू आपूर्ति, पशुधन आवश्यकता और औद्योगिक आवश्यकताओं की मांग को बिना किसी दावे और विशिष्ट जानकारी के आधार पर लिया गया, जबकि वर्ष 1958 से प्रतिबद्ध बिहार के सिंचाई उपयोग को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है ।

मैं आपके माध्यम से सैंट्रल वाटर कमीशन से आग्रह करता हूं कि दोनों राज्यों को पुन: बिठाएं और ?टू मेक इट हैपन? वाली एप्रोच के साथ काम करें । जिस प्रकार से जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी का पुल बनाकर असंभव को

संभव किया गया है, इसी प्रकार से दोनों के हितों और लाखों किसानों की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए पुन: दोनों राज्यों को बिठाया जाए ।